रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 1970/आश्विन 23, 1892
No. 374] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 1970/ASVINA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 15th October 1970*

**S.O. 3398.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Laws) No. 2 Regulation, 1970 (2 of 1970), the Central Government hereby appoints the 15th day of October, 1970, as the date on which the said Regulation shall come into force.

[No. F.9/12/68-UTL.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1970

**का० आ० 3398.**—लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह (विधि) सं० 2 विनियम, 1970 (1970 का 2) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अक्तूबर, 1970 के 15वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त विनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० एफ० 9/12/68-यू० टी० एल०]

के० आर० प्रभू, संयुक्त सचिव।



PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1970